दि0–02.07.2015 के प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा हजारीबाग के भ्रमण से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन

सर्वप्रथम केनारी वन विश्रामागार में हजारीबाग में पदस्थापित सभी वन अधिकारियों से अधोहस्ताक्षरी द्वारा भेंट किया गया एवं उनके कार्यों की जानकारी प्राप्त की गई ।

2. हजारीबाग पश्चिम वन प्रमंडल का क्षेत्रफल लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर है, जबकि हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल का क्षेत्रफल 63000 हेक्टेयर है । यह प्रमंडल हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो एवं रामगढ़ जिलों में फैले हुए हैं ।

3. इन आंकड़ों के समीक्षा से यह प्रतीत होता है कि विभाग के प्रमंडल की पुनरीक्षण की आवश्यकता है, जिससे कि कार्य क्षेत्र में समानता हो और प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह बेहतर होगा कि वन प्रमंडलों की सीमाएं जिलों की सीमाओं के अनुरूप हों । अतः इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है ।

4. हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के मुख्यालय रेंज "दारू" में श्री आर0एन0 प्रसाद, वन क्षेत्र पदाधिकारी पदस्थापित हैं, वे आकस्मिक अवकाश पर थे, किंतु समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि वे काफी शिथिल हैं । क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ने उन्हें मुख्यालय प्रक्षेत्र से स्थानांतरण करने का अनुरोध किया ।

5. हजारीबाग पूर्वी एवं पश्चिमी वन प्रमंडलों के पिछले एवं वर्तमान वित्तीय वर्षों में किए गए कार्यों एवं वहां की समस्याओं की जानकारी भी प्राप्त की गई ।

6. हजारीबाग पूर्वी एवं पश्चिमी वन प्रमंडल में कोयले, पत्थर एवं अवैध काष्ठ के परिवहन की समस्याएं हैं, जिन पर और अधिक प्रभावशाली रणनीति तैयार कर कार्य करने की आवश्यकता है । इस कार्य में पुलिस बल की भी मदद ली जाए ।

(कार्रवाई–क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ।)

7. समीक्षा के कम में यह ज्ञात हुआ कि हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल में 25600 हेक्टेयर ब्लैंक वन हैं, जो कार्य नियोजना में प्लांटेशन वर्किंग सर्किल में रखे गए हैं। प्रमंडलों को दिए जा रहे वनरोपण के लक्ष्य, कार्य नियोजना में प्लांटेशन एवं आर0डी0एफ0 वर्किंग सर्किल में उपलब्ध भूमि के अनुरूप होने चाहिए, अन्यथा कार्य नियोजना के अनुसार वनरोपण के कार्य नहीं हो सकेंगे ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को यह निदेश दिया जा सकता है कि वे भविष्य में वनरोपण का लक्ष्य निर्धारित करते समय उस वन प्रमंडल हेतु उपलब्ध क्षेत्रफल को जरूर ध्यान में रखें एवं भविष्य के योजना इसी के अनुरूप बनाएं ।

(कार्रवाई–अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ।)

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं अन्य सभी अधिकारियों ने बताया कि वनरक्षियों की अत्यधिक कमी के कारण कार्य निष्पादन में अत्यधिक कठिनाई हो रही है । कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कर वनकर्मियों की उपलब्धता बढ़ाना नितांत आवश्यक है ।

8. भारतीय वन सेवा के नए प्रशिक्षु श्री सौरभ का पदस्थापन हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के मुख्यालय प्रक्षेत्र में किया गया । आश्चर्य की बात है कि आज तक उन्हें इस प्रक्षेत्र का प्रभार नहीं दिलाया गया है । क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ने बताया कि इस प्रक्षेत्र में पदस्थापित वन क्षेत्र पदाधिकारी को प्रशिक्षण अवधि के लिए मुख्यालय में संलग्न करने का आदेश दिया गया है, परंतु इस प्रावधान से उन्हें वेतन नहीं मिलेगा ।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक को निदेश दिया गया कि यदि कोई समस्या है तो उन्हें मुख्यालय को लिखना चाहिए था । अभी भी इस हेतु अविलंब उचित प्रस्ताव भेजकर आदेश का कार्यान्वयन करवाएं । भारतीय वन सेवा के अन्य दो प्रशिक्षु, जिन्हें लातेहार एवं सारंडा वन प्रमंडल में पदस्थापित किया गया है, उनके बारे में क्या स्थिति है । संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक इस संबंध में उचित कार्रवाई करें एवं प्रशिक्षु अधिकारियों का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन मानव संसाधन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें ।

(कार्रवाई–अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग, मेदिनीनगर एवं सिंहभूम।)

9. मंडेयीखुर्द रक्षित वन में क्षतिपूरक वनरोपण के अंतर्गत कैंपा मद से किए जा रहे वनरोपण कार्य का निरीक्षण किया गया । वनरोपण कार्य जारी पाया गया । पौधशाला का भी निरीक्षण किया गया । पौधशाला एवं वनरोपण क्षेत्र में प्रावधानित वनरोपण पुस्तिकाओं का भी अवलोकन किया गया । स्थिति संतोषजनक पाई गई ।

10. केसोडीह से बुडुम पथ पर गैबियन वनरोपण, जिसके अंतर्गत 600 पौधे लगाने के कार्य का निरीक्षण किया गया । यह कार्य हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के बगोदर प्रक्षेत्र में किया जा रहा है । कई स्थानों पर पौधे छोटे पाए गए, जबकि प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से यह निदेश पूर्व में ही दिया जा चुका है कि पथतट वनरोपण में किसी भी हालत में 4 फीट से कम लंबाई के पौधे नहीं लगायी जाएं । अतः संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वे अविलंब छोटे पौधों को बदलकर निर्धारित मापदंड के अनुसार लंबे पौधे लगाएं ।

(कार्रवाई–क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।)

11. सरिया वन विश्रामागार एवं वन क्षेत्र कार्यालय परिसर का भी निरीक्षण किया गया । वन विश्रामागार अच्छी हालत में पाया गया । वन विश्रामागारों को भी ठीक ढंग से रखा गया है ।

12. मंडरो काल्ला पत्थर में कलमी आम वनरोपण, जो वीरहोरों की भूमि पर 16 हेक्टेयर में किया गया है का भी निरीक्षण किया गया । बताया गया कि वर्तमान क्षेत्र में

संबंधित 16 वीरहोर परिवारों को 2,05,000/– रू0 की आय हुई है । वन क्षेत्र पदाधिकारी, श्री दिगंबर सिंह ने बताया कि इसी प्रकार कुल 155 एकड़ में कलमी आमों का वनरोपण किया गया है । वीरहोर को इस प्रकार का लाभ मिलने में संपूर्ण भूमिका श्री दिगंबर सिंह, वन क्षेत्र पदाधिकारी की पाई गई, जिन्होंने अत्यधिक मेहनत और लगन से कार्य किया है । अतः वे बधाई के पात्र हैं । क्षेत्रीय पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वन क्षेत्र पदाधिकारी के इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें पुरस्कृत करने की दिशा में कार्रवाई की जाए ।

13. करमा बरमसिया पथ पर गैबियन वनरोपण किया जा रहा था, जिसका निरीक्षण किया गया । यहां भी 600 पौधे लगाए जाने हैं । कार्य काफी साफ–सुथरा और अच्छे ढंग से किया जा रहा है ।

14. <u>सामाजिक वानिकी</u>– हजारीबाग में सामाजिक वानिकी से संबंधित सामाजिक वानिकी वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग एवं कोडरमा भी उपस्थित हुए । उनसे उनकी कार्यों की जानकारी प्राप्त की गई ।

यह वन प्रमंडल पदाधिकारी सीधे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वनरोपण के अंतर्गत कार्य करते हैं, जो उचित व्यवस्था प्रतीत नहीं होती है । इसीलिए विभाग को पुनः पुनर्गठित करने की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे कि विभाग के कार्यों में और अधिक दक्षता लायी जा सके ।

15. श्री बी0बी0 सिन्हा, सहायक वन संरक्षक मई 2012 से सामाजिक वानिकी प्रमंडल, हजारीबाग में सहायक वन संरक्षक के पद पर पदस्थापित हैं, जबकि सामाजिक वानिकी प्रमंडलों में कार्य बहुत ही कम है । अतः बेहतर होगा कि श्री बी0बी0 सिन्हा को अन्य वन प्रमंडल में जहां कार्य अधिक है, कार्यहित में प्रतिनियुक्त किया जाए ।

<u>(कार्रवाई–अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन।)</u>

16. <u>वन्यप्राणी प्रभाग</u>– हजारीबाग में एक वन प्रमंडल पदाधिकारी, श्री आर0एन0 मिश्रा भी पदस्थापित हैं, जो हजारीबाग वन्यप्राणी वन प्रमंडल में कार्यरत् हैं । इनके अधीन 7 वन्यप्राणी आश्रयणियां हैं, जो राज्य में दूर–दूर क्षेत्रों फैले हुए हैं । इस कारण आश्रयणियों के प्रबंधन में काफी कठिनाइयां महसूस हो रही हैं ।

अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी–सह–मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखंड, रांची से अनुरोध है कि वे इस दिशा में कार्य कर उचित सुझाव कृपया अविलंब प्रेषित करें ।

<u>(कार्रवाई– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी ।)</u>

17. <u>कार्य नियोजना प्रभाग</u>– हजारीबाग में श्री जयराम, वन संरक्षक कार्य नियोजना प्रभाग में पदस्थापित हैं । अतः इनके कार्य का भी निरीक्षण किया गया । हजारीबाग में इनके अंतर्गत एक जी0आई0एस0 सेल है, जिसमें एक बड़ा प्लोटर, एक बड़ा स्कैनर एवं एक वर्क स्टेशन तथा एक कंप्यूटर उपलब्ध हैं । वन संरक्षक, कार्य नियोजना ने यह बताया कि

प्रशिक्षित कर्मियों की कमी के कारण ये जी0आई0एस0 सेल कार्य नहीं कर रहा है । इसमें आगे के कार्यों को रोकने का भी आदेश दिया गया था, क्योंकि यही सब कार्य रांची स्थित जी0आई0एस0 सेल में किए जा रहे हैं ।

संपूर्ण मामले की समीक्षा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न प्रक्षेत्र में विभिन्न कार्य नियोजना के वन संरक्षकों के अंतर्गत प्रस्तावित जी0आई0एस0 सेल, यदि रांची स्थित जी0आई0एस0 सेल से जुड़े रहते हैं तो कार्य करने में आसानी होगी एवं वर्तमान में प्रस्तावित विभिन्न जी0आई0एस0 संबंधित कार्य इस सेल में ऑफ लाईन मोड में किए जा सकते हैं एवं उन्हें फिर इंटरनेट के माध्यम से मुख्य सर्वर पर विभागीय वेबसाईट में उपलब्ध एफ0आई0एम0एस0 में दर्शाया जा सकता है ।

अतः यह निर्णय लिया गया कि इन सभी जी0आई0एस0 सेल को जल्द–से–जल्द कार्यशील किया जाए और इस हेतु जो भी आवश्यक कार्रवाई हो, वे की जाएं ।

(कार्रवाई–अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना एवं कैंपा।)

18. JICA संबंधित कार्य– हजारीबाग में प्रशिक्षण विधालय में JICA योजनांतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया गया । संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, श्री मधुकर ने बताया कि सभी कार्य 3–4 महीने में पूर्ण हो जाने की आशा है ।

उन्हें यह निदेश दिया गया कि तत्परता से सभी कार्य पूर्ण कराएं एवं दिसंबर माह तक प्रशिक्षण विधालय को प्रशिक्षण देने हेतु हर हालत में तैयार कर दें, जिससे कि वर्ष के अंत तक आने वाले प्रशिक्षु वनरक्षियों के प्रशिक्षण हेतु ससमय उचित व्यवस्था की जा सके ।

19. वन संरक्षण– हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के अंतर्गत दूधमटिया में वृक्षों के रक्षा बंधन से संबंधित श्री महादेव महतो द्वारा चलाए जा रहे अभियान का भी निरीक्षण किया गया । पाया गया कि दूधमटिया एवं उसके आस–पास के वनों में जन सहभागिता से अत्यधिक मात्रा में अच्छे प्रकार से वनों का संरक्षण हुआ है । जो वन कभी रूटेड बेस्ड में बदल गए थे, उनमें पुनः पोल कोप आ गए हैं । जमीन पर अत्यधिक संख्या में सूखे साल के पत्ते भी पाए गए, जो इस बात को अंकित करते हैं कि किस हद तक यह प्रयास सफल हुआ। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है । अतः इस संबंध में निम्न निदेश दिए गए–

(क) श्री महादेव महतो को इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित करने हेतु सभी उचित कार्रवाई की जाए ।

(ख) बी0बी0सी0 द्वारा इस अभियान पर निर्मित फिल्म की प्रति उपलब्ध करायी जाए ।

(ग) इस संदर्भ में आज तक सभी तरह के अभिलेखीकरण की प्रति उपलब्ध करायी जाए । वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रचार–प्रसार को यह विशेष कार्य दिया जाता है कि वे एक माह के अंदर इस संबंध में फिल्म एवं डॉकुमेंटेशन के

सभी कार्य इस प्रकार तैयार करें, जिससे जे0एफ0एम0 और इको डेवलपमेंट सोसाइटी को यह फिल्म दिखलाई जा सके, ताकि वे स्वतः वनों के संरक्षण हेतु प्रेरित हों । इस अच्छे कार्य का वृहत् पैमाने पर प्रचार–प्रसार आवश्यक है ।

(घ) भारत सरकार को भी इस प्रयास से अवगत कराते हुए संबंधित अभिलेख भेजे जाएं ।

(ङ) विभाग की वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन में भी इस प्रयास का समावेश किया जाए।

(कार्रवाई– वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रचार एवं प्रसार।)

उपरोक्त निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन ससमय भेजा जाए । एक माह बाद पुनः इसकी समीक्षा की जाएगी ।

(बी0सी0 निगम)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक

ज्ञापांक– IIE-19(M)36/15- 2231 रांची, दि0– 4·7·15

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी–सह–वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखंड, रांची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, रांची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, झारखंड/सभी मुख्य वन संरक्षक, झारखंड/सभी वन संरक्षक, झारखंड/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

ज्ञापांक– IIE-19(A)36/15- 2231 रांची, दि0– 4·7·15

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

ज्ञापांक– IIE-19(A)36/15 – 2231 रांची, दि0– 4·7·15

प्रतिलिपि : इन्विस सेंटर, रांची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक